

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला
राजसमंद

पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 96/2024
किरम :- प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 09.07.2024

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

-:अनवान:-

1. बैरूलाल पिता भुरा नायक जाति नायक निवासी -पछमता, तहसील- रेलमगरा जिला
राजसमंद प्रार्थी

बनाम

1. किशोर पुत्र कालु नायक जाति नायक आयु बालिग, निवाली पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. नारायण पुत्र कालु नायक जाति नायक, आयु बालिग, निवाली पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. प्यारा पुत्र कालु नायक जाति नायक, आयु बालिग निवाली पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
4. लीला पुत्र कालु नायक जाति नायक आयु बालिग, निवाली पछमता, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा जिला-राजसमन्द विपक्षीगण


वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 554 रकबा 0.6394 है0 भूमि ग्राम पछमता पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावें । फिस पत्थरगढ़ी 1000/- रुपये अक्षरे. एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावें। बाद तानिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(विन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद